संख्या-07/2018/07/21-3-2017-18/2016

प्रेषक,

आद्यादत्त त्रिपाठी
अनुसचिव (भाषा),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
नया हैदराबाद, लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 26 फ़रवरी, 2018

विषय: प्रदेश के सभी ब्लाकों में सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण शिविर एवं अनुषंगी विषयों तथा संस्थान के अध्यक्ष व निदेशक हेतु दो नए वाहनों के क्रय एवं प्रासंगिक व्यय के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के प्रस्ताव पत्र संख्या - 684/सं०सं०/2018 दिनांक 09.01.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 मेंउपर्युक्त विषयक प्रयोजन के भुगतान हेतु भाषा विभाग के अतर्गत उपलब्ध बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाषा -1)के स्तम्भ में अंकित मद से स्तम्भ -7 में अंकित मद में रु० - 200.00 लाख (रू० दो करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं ।

2 उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त लेखा अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाय ।

3 उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी । उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिये गये हैं।

4 उपरोक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक: 31 मार्च, 2018 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 039 लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा -आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 06-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान -35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु से संक्रमित करते हुए लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा -आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता अनुदान -06-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान -20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6 यह आदेश वित्त विभाग की आशासकीय संख्या आर०ई०न.- -294/ई-7-दस-2018, दिनांक-21 फ़रवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव।

संख्या- 07(1)/21-3-2017-18/2016, **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
8. भाषा (उर्दू)अनुभाग-4।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।